

न्यायालय तहसीलदार कठुमार (अलवर) राज.

सरकार जरिये रिपोर्ट पटवारी हल्का मासारी बनाम समन्तर सो मासारी

प्रकरण अन्तर्गत धारा 91 पलवार हुस्ट


प्रकरण संख्या :- 12/2018/RA

निर्णय दिनांक :- 31-12-18

पत्रावली प्रस्तुत हुई। प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि यात्र मासारी की आ.ख.न. 1231 कुल रकबा 0.73 किस्म जमीन गैलुडो में से 0.01 रकबा पर श्री समन्तर सो मासारी पर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर इच्छा/अप्राप्त करवा कर लिया है। इस पर पटवारी हल्का मासारी द्वारा दिनांक 24/6/18 को उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही किये जाने की रिपोर्ट मय लाईय भू.अ.निरी. दारोदा के द्वारा प्रस्तुत किये जाने पर प्रकरण दर्ज एजिस्टर किया जाकर अतिक्रमी समन्तर सो मासारी जाति जाट निवासी मासारी को भू.राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किये गये नोटिस की तामील कराई गई। नोटिस याद तामील प्राप्त होने पर शानिल पत्रावली किया गया। अतिक्रमी उपस्थित आया। जवाब नोटिस पेश किया जो शामिल पत्रावली है। उक्त रकबा आ.ख.न. 1231 रकबा 0.73 में से 0.01 रकबे किस्म गैलुडो है जो नियम के योग्य नहीं है द्विहाजा ठौरसायम को अतिक्रमित रकबे से वेदखल किया जाने के आदेश दिये जाते है एवं दण्ड स्वरुप लगान 2 Pais का 50 गुणा 5/- रूपये फैनल्टी आरोपित की जाती है मांवा कायमी हेतु टीआरए को लिखा जावे, फैनल्टी वसूली एवं वेदखली हेतु हल्का पटवारी मासारी भू.अ.निरी. दारोदा को लिखा जाकर याद तकनील दाखिल दफतर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

तहसीलदार
कठुमार (अलवर) राज.
कठुमार, अलवर (राज.)

रा. नं. स. व. सं. नं. 40 क्रम नं. 3
24/12/18 तारीख 5/1
अतिरिक्त को 5/1


तहसीलदार